सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 833 राँची, गुरुवार

6 अग्रहायन 1937 (श०)

27 नवम्बर, 2015 (ई०)

सहकारिता प्रभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2015

संख्या .1/स्था0...(राज)..(अंके0). 05/2009 सह-3591--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं -

अध्याय-1

प्रारंभिक .....

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) यह नियमावली झारखण्ड 'सहकारिता ' अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ - इस नियमावली में जब-तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) 'संवर्ग ' से अभिप्रेत है, सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग के पद या बल।

(ii) 'आयोग ' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग।

(iii) 'राज्यपाल ' से अभिप्रेत है, झारखण्ड के राज्यपाल।

(iv) 'सदस्य ' या 'सेवा के सदस्य ' से अभिप्रेत है, सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति।

(v) 'अनुसूची ' से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संबधित संलग्न अनुसूची- I, II, III एवं IV,

(vi) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है- निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

3. संवर्ग की संरचना - यह संवर्ग निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के प्रशासी नियंत्रण में होगा। इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों के वत्र्तमान पदों का पूर्ण विवरण अनुसूची-1 के अनुरुप होगा।

राज्य सरकार समय-समय पर संवर्गीय बल का निर्धारण करेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग के स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी।

4. पद की स्थिति -

(क) इस संवर्ग का मूल पद वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी होगा।

(ख) अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, उपमुख्य अंकेक्षक, संयुक्त निबन्धक (अंकेक्षण) के पदों को अनुसूची-प्ट के अनुरुप प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय-2

भत्र्ती

5. भत्र्ती का श्रोत

(i) इस सेवा में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी -

(क) इस नियमावली के अध्याय-3 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) इस नियमावली के अध्याय-4 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा,

परन्तु कोई भी व्यक्ति प्रोन्नति के लिए योग्य तभी होगा, जब उसने न्यूनतम योग्यता प्रदायी सेवा शत्र्तों को पूरा कर लिया हो तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

6. रिक्तियों में आरक्षण - भत्र्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

7. रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना -

प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर को इस संवर्ग की सीधी भत्र्ती मूल पद से भरी जानेवाली पदों की रिक्तियों की संख्या निर्धारित की जायेगी एवं निर्धारित रिक्तियों के विरुद्व नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त करने के लिए आयोग को प्रेषित किया जाएगा।

अध्याय-3

सीधी भत्ती

8. आयोग द्वारा सीधी भत्ती -

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी भी वर्ष में संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक भत्ती नहीं की जायेगी। परन्तु अगर सरकार चाहे तो पदों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि कर सकती है।

(ख) आयोग द्वारा विज्ञापन निकाल कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग की मूल कोटि में भत्ती हेतु सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुसूची-प्प् पर द्रष्टव्य है।

9. पात्रता -

(क) वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (गणित /अर्थशास्त्र/ वाणिज्य / सांख्यिकी विषय के साथ) डिग्री होगी एवं प्रतियोगिता परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रुप में वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी में से किसी एक विषय का चयन करना आवश्यक होगा।

(ख) न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र के अनुसार की जायगी।

(ग) आरक्षण, उम्र सीमा एवं कालावधि के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम / परिपत्र /संकल्प यथावत् लागू होंगे।

10. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा -

आयोग प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा। तैयार की गई ऐसी सूची में से आयोग उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ अधियाचित की गई हों।

किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रनीत की जायेगी।

11. आयोग परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया अपनाएगा।

12. आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा -

आयोग रिक्तियों को भरने के लिए सफल उम्मीदवारों की मेधा के क्रमानुसार सूची तैयार करेगा और तैयार की गई सूची सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के लिए उपलब्ध करा देगा।

13. वरीयता - इस नियमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भत्र्ती द्वारा नियुक्त किए गए, अभ्यर्थियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमांक के आधार पर होगी।

प्रोन्नति से भरे जानेवाले पदों में वरीयता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या-15784 दिनांक-26.08.1972 एवं संकल्प संख्या-213 दिनांक-07.06.2002 में विहित् प्रावधान के अनुरुप निर्धारित होगी तथा समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित शत्र्तंे यथावत् लागू होंगे।

14. परिवीक्षा अवधि -

(i) किसी मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि तक परीवीक्षा पर रखा जायेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परीवीक्षा अवधि अगले एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं हो, तो सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

(iii) अवधि के दौरान परीक्ष्यमान व्यक्ति को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना होगा जैसा कि विहित् किया जायेगा और परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुसूची-प्प्प् के परिशिष्ट के अनुसार होगा।

प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण- प्रारुपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही देय होगी।

विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही प्रोन्नति पाने के हकदार होंगे।

15. सम्पुष्टि -

(i) परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा, बशत्र्ते, वह निर्धारित मापदंड को पूरा कर ले।

सम्पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना एवं जनजातीय परीक्षा, यथा- हो, मुण्डारी, संथाली, उराॅव (कुड़ुख) में से, कोई एक भाषा में परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अध्याय-4

प्रोन्नति द्वारा भत्र्ती

16. प्रोन्नति द्वारा भत्र्ती -

इस संवर्ग की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) से भिन्न पद सोपान के सभी पद प्रोन्नति देकर भरे जायेंगे । प्रोन्नति के प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची-IV में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगा।

अध्याय-5

वेतन

17. वेतन- संवर्ग की विभिन्न कोटियों के पदों के वेतनमान वही होंगे, जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी।

अध्याय-6

सामान्य

18. कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध -

(i) इस संवर्ग के सदस्य को झारखण्ड सहकारिता अधिनियम, 1935 एवं यथा संशोधित सहकारिता अधिनियम, 2011 तथा झारखण्ड राज्य स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबन्धित समितियों के अंकेक्षण कार्य हेतु झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर, किसी भी स्थान पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस संवर्ग के किसी भी सदस्य को किसी गैर-संवर्गीय पद पर भी, जो उसकी वरीयता के अनुरुप हो, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

19. प्रशिक्षण -

(i) इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिये राज्य में या राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकनों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

(ii) प्राक्-सम्पुष्टि प्रशिक्षण के दो पक्ष होंगे-सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों की अवधि तीन-तीन माह की होगी।

20. अन्य सेवा शर्त्ते -

इस संवर्ग के लिये अन्य सेवा शर्त्ते यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुटटी, देय सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है या जो इस संवर्ग के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के सेवा संहिता एवं सम्बद्ध नियमों तथा असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 एवं बिहार तथा उड़ीसा अवर सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 तथा अन्य संहिताओं में तत्संबंधी किए गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

21. राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के प्रावधानों को विहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सके। सहकारिता विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरुप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।

22. व्यावृत्ति -

वैसे पदाधिकारी जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व लागू परीक्षा में उचित स्तर से उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस नियमावली मे विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, जो ऐसी परीक्षा उचित स्तर से उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें इस नियमावली की विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/ -(अस्पष्ट),
प्रधान सचिव
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 833—50 ।